

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प खावड़ी

प्रकरण संख्या / 718/21 प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

दिनांक :- 28/10/2021

उनवान

श्री खीतर पिता प्रताप  
रेडार

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,  
पटवारी हल्का खेरी भू अ. नि. खावड़ी एवं नायब तहसीलदार  
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेरी प. ह. खेरी  
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 98,99 में  
प्रार्थीगण की प्रविष्टि खीतर पिता प्रताप खेला  
के स्थान पर खीतर पिता प्रताप रेडार  
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश  
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

hu  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री खीतर पिता प्रताप रेडार
3. रक्षित पत्रावली

hu  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा